

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की 224वीं बैठक
दिनांक 30.03.2013 का कार्यवृत्त

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की 224वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री प्रबीर कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे—


1. श्री प्रबीर कुमार	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ०प्र० शासन	अध्यक्ष
2. श्री रुद्र प्रताप सिंह	आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3. श्री एन०आर० चर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ०प्र०	सदस्य
4. श्रीमती नीरजा कृष्णा	संयुक्त निदेशक, प्रतिनिधि, सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग	सदस्य
5. श्री रंजन मिश्र	वित्त सचिव	सदस्य
6. श्री जी०एस० गोयल	मुख्य वास्तुविद् नियोजक	सदस्य
7. श्री आर०क० शुक्ला	मुख्य अभियन्ता प्रतिनिधि उपाध्यक्ष ल०वि०प्रा०	विशेष आमंत्री सदस्य
8. श्री राकेश कुमार सिंह	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन	विशेष आमंत्री सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मंडल तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की ओर से स्थायक (म०) का स्वागत किया। परिषद बैठक को विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मर्दाँ पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :—

224 / 1	विषय	परिषद की 223वीं बैठक दिनांक 08 मार्च, 2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि।
	निर्णय	परिषद की 223वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
224 / 2	विषय	परिषद की 223वीं बैठक दिनांक 08 मार्च, 2013 की अनुपालन आख्या।
	निर्णय	परिषद की 223वीं बैठक दिनांक 08 मार्च, 2013 की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई।

प्रशासन अनुभाग

224 / 3.	विषय	परिषद के अवर अभियन्ताओं को 30 लीटर पेट्रोल की प्रतिपूर्ति प्रतिमाह अनुमन्य किये जाने के संबंध में।
	विचार	प्रश्नगत प्रकरण में यह अवगत कराया गया कि परिषद में जून 2012 में वाहन भूते की दरें निर्धारित की गयी थीं जबकि वर्तमान में पेट्रोल / डीजल की दरों में वृद्धि हो चुकी है। अतः अन्य विभागों यथा राज्य विद्युत परिषद / जल नियम / भूमि सुधार निगम आदि में प्रक्षलित व्यवस्था के अनुसार परिषद कर्मचारियों को शासकीय उपयोग हेतु निजी वाहन का प्रयोग करने की दशा में 30 लीटर पेट्रोल की द्विनाराशि के बराबर दरों का निर्धारण किया जाए।
	विमर्श	परिषद के संज्ञान में यह लाया गया कि शासकीय कर्मचारियों को कार्य प्रकृति के आधार पर दैय वाहन भूते के संबंध में शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। अतः इकत्त शासनादेश के प्राविधानों का अवलोकन करना आवश्यक है।
	निर्णय:	विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वाहन भूते के संबंध में यदि कोई पुनरीक्षित शासनादेश निर्गत हुआ है तो उक्त के प्राविधानों के दृष्टिगत पुनः



		प्रीक्षण करते हुए प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
224 / 4	विषय	परिषद के कार्यप्रभारित कार्मिकों को छठा वेतनमान दिये जाने के सम्बंध में।
	विचार विमर्श	परिषद को अवगत कराया गया कि कार्यप्रभारित कार्मिकों को पूर्णकालिक कर्मचारियों की भाँति पूर्व में ५वां वेतनमान दिया जा चुका है तथा सभी भत्ते आदि दिये भी जा रहे हैं। अवगत कराया गया कि वित्त विभाग द्वारा भी यह राय दी गयी कि 'कार्यप्रभास्ति कार्मिकों को तीन साह के उपरान्त भी पदों पर बनाये रखते हुए विनियमितीकरण के लिए उन्हें समस्त लाभ/सुविधाएं अनुमत्य करायी जा चुकी है। अतएव उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के कार्यप्रभारित/वर्कचार्ज कार्मिकों को पुनः विनियमित किये जाने हेतु शासन स्तर से अधिसंख्य पदों का सूजन किये जाने का औचित्य नहीं है।'
	निर्णय	उपरोक्त के आलोक में परिषद द्वारा इन कर्मचारियों को छठा वेतनमान दिये जाने हेतु दिनांक ०६.०३.१३ को कार्यालयादेश निर्गत कर दिया गया है। उक्त कार्यालयादेश पर कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव है।
224 / 5	विषय	प्रीक्षण में दैनिक वेतन/मस्टररोल वाहन चालकों के विनियमितीकरण के सम्बंध में।
	विचार विमर्श	प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराया गया कि परिषद में दैनिक वेतन/मस्टररोल के रूप में कई वाहन चालक कार्यरत हैं। वर्तमान में वाहन चालकों के कुल ०९ पद रिकॉर्ड हैं। जिसके सापेक्ष मस्टररोल पर कार्यरत ०६ वाहन चालकों को विनियमित किया जाना प्रस्तावित है। यह भी अवगत कराया गया कि विनियमितीकरण हेतु प्रस्तावित सूची में श्री. जुनैल आदीन की शैक्षिक योग्यता कक्षा-७ तक है अतः शैक्षिक योग्यता में शिक्षितता प्रदान किया जाना भी प्रस्तावित है।
	निर्णय	विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विनियमितीकरण हेतु प्रस्तावित कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता एवं अन्य मानकों के परीक्षण हेतु आवास आयुक्त अपने स्तर से एक विभागीय समिति का गठन करते हुए प्रीक्षण करा लें तथा प्रीक्षणोपरान्त सुसंगत प्रस्ताव परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

सम्पत्ति प्रबन्ध उत्तराखण्ड

224 / 6	विषय	उत्तराखण्ड राज्य में स्थित प्रीक्षद की योजनाओं के अन्तर्गत अवशेष सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बंध में।
	विचार विमर्श	प्रश्नगत प्रकरण के सम्बंध में अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न नगरों में परिषद द्वारा संचालित योजनाओं की अवशेष सम्पत्तियों पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किये जाने की शिकायते प्राप्त होती रहती है तथा ऋषिकेश व रुद्रपुर में ०२ स्कूल भूखण्डों पर कब्जा कर नगरपालिका द्वारा पार्क बना दिये गये हैं। रुद्रपुर, खट्टीमा, काशीपुर व ऋषिकेश में कम्युनिटी सेन्टर एवं स्कूल भूखण्डों का निस्तारण सम्भव नहीं हो पा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम निष्प्रभावी हो चुका है।


अतः परिषद की समस्त अवशेष सम्पत्तियों को विकायशीलता की दृष्टि से आवासीय/व्यवसायिक में परिवर्तित करते हुए निस्तारण किये जाने का प्रस्ताव है।

	निर्णय	सर्वसम्मानि से विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि परिषद की सम्पत्तियों पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध संथानीय थाना में संगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफ0आई0आर0) दर्ज करायी जाए तथा सक्षम न्यायालय में बेदखली की कार्यवाही के लिए वाद भी योजित किया जाय। उक्त योजनाओं में सम्पत्तियों का निस्तारण तलपट मानचित्र में स्वीकृत सू-उपयोग के अनुरूप ही किये जाने के प्रयास किये जाए।
--	--------	--

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग

224 / 7	विषय	परिषद परियोजनाओं में व्यावसायिक सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य के विरुद्ध प्राप्त उच्चतम बोलियों के स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में अधिकारों का प्रतिनिधान
	विचार विमर्श	परिषद के संज्ञान में लाधा गया कि परिषद योजनाओं में विकसित व्यावसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण में गति लाये जाने के उद्देश्य से सम्पत्तियों के आर्थिक मूल्य के आधार पर परिषद के कार्यालय आदेश संख्या—1269./ सं0प्र0—3 दिनांक 07.01.2003 द्वारा व्यावसायिक सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य के विरुद्ध प्राप्त उच्चतम बोलियों की स्वीकृति का अधिकार रु0.50 लाख तक जोनल संयुक्त आवास आयुक्त स्तर, 1.00 करोड़ तक आरक्षित मूल्य की सम्पत्तियों हेतु अपर आवास आयुक्त एवं सचिव स्तर तथा 1.00 करोड़ से ऊपर आवास आयुक्त स्तर के प्रतिनिधित्वित थे। विगत 10 वर्षों के अन्तराल में मूल्य सूचकांक एवं मुद्रास्फीति के कारण परिषद की योजनाओं में व्यावसायिक सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। फलस्वरूप अधिकार सीमा में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है।
	निर्णय	परिषद द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मानि से यह निर्णय लिया गया कि व्यावसायिक सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य के आधार पर प्रतिनिधानित अधिकार को मूल्य-वृद्धि के दृष्टिगत व्यवहारिक बनाया जाना प्रासंगिक है। अतः रु0.100 करोड़ तक जोनल उप/संयुक्त/अपर आवास आयुक्त स्तर, 1.00 करोड़ से 3.00 करोड़ तक अपर आवास आयुक्त एवं सचिव के स्तर तथा रु0.300 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य की सम्पत्तियों की उच्चतम बोलियों को स्वीकृत करने का अधिकार आवास आयुक्त को प्रतिनिधानित किया गया।
224 / 8	विषय	स्व वित्त पोषित योजना एवं आंशिक स्व वित्त पोषित योजना की सम्पत्तियों के मूल्यांकन के सम्बंध में।
	विचार विमर्श	परिषद के संज्ञान में लाधा गया कि परिषद में दो प्रकार की परियोजनाओं के अन्तर्गत भवनों का निर्माण किया जाता है, सामान्य परियोजना जिसमें भवनों का निर्माण परिषद फन्ड से कर देने एवं भवन विशेष की संख्या निश्चित हो जाने के उपरान्त सामान्य पंजीकरण खोल कर प्राप्त आवेदकों के मध्य भवन संख्यावार लाटरी द्वारा सफल आवेदक एवं आवंटित भवन संख्या के आधार पर भवन आवंटित किया जाता है। एवं आवंटन की तिथि को प्रभावी भूमि मूल्य के अनुसार आवंटियों से भवन का मूल्य नियमानुसार ब्याज सहित 10 वर्ष अथवा 12 वर्ष की मासिक किश्तों में प्राप्त किया जाता है।

दूसरी ओर स्व-वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत जिर्माण हेतु प्रस्तावित भवनों के सापेक्ष पंजीकरण खोल कर आवेदन प्रत्र आमंत्रित किये जाते हैं। स्व-वित्त पोषित योजना के भवनों का निर्माण आवेदकों से प्राप्त धनराशि के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम पात्रता चयन हेतु लाटरी द्वा से सफल आवेदकों (जिन्हें भवन आवंटित होना सुनिश्चित है) को




		<p>सूचीबद्ध किया जाता है। भवन के निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् पुनः (द्वितीय) लाटरी-झा के माध्यम से भवन के नम्बर चयनित सफल आवेदकों के मध्य आवंटित किये जाते हैं। परिषद बैठक 191/55 में निम्न निर्णय लिया गया था :—</p> <p>“भविष्य में परिषद की सभी एस.एफ.एस. योजनाओं में भी लाटरी द्वारा आवंटन की तिथि को प्रचलित भूमि दर ही ली जाये।”</p> <p>उक्त निर्णय में “लाटरी” शब्द से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि स्ववित्त पोषित योजना में दो बार लाटरी की जाती है। यहाँ “लाटरी” का अभिप्राय प्रथम लाटरी (पात्रता चयन हेतु लाटरी झा) से है, क्योंकि इस योजना में भवन निर्माण से पूर्व सम्पूर्ण धनराशि आवंटी से ले ली जाती है। इसलिए उक्त भ्रम को दूर करने के लिए “लाटरी” के स्थान पर स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत “पात्रता चयन हेतु लाटरी झा” शब्द रख दिया जाये।</p> <p>परिषद के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया कि “पात्रता चयन हेतु लाटरी झा” की तिथि को प्रभावी भूमि दर के अनुसार भवनों का मूल्य निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है।</p>
	निर्णय	<p>परिषद द्वारा विचारपात्र सर्वसम्मति से तथ्यों को संज्ञान में लिया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि स्व-वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों के मध्य किये जाने वाले “पात्रता चयन हेतु लाटरी-झा” की तिथि को प्रभावी भूमि दर के अनुसार भवनों का मूल्य निर्धारित किया जाये।</p>

अभियंत्रण अनुभाग

224/9	विषय	मेंट्रो रेल परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत दिलशाद गार्डन नई दिल्ली से नया बेस अड्डा, गाजियाबाद कॉरीडोर (लम्बाई 9.71 कि०मी० 7 स्टेशन) के निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था के संबंध में गठित समिति की दिनांक 22.03.2013 को हुई बैठक के कार्यवृत्त में की गई संस्तुति के संबंध में।
	विचार विमर्श	अवगत कराया गया कि परिषद की 222वीं बैठक दिनांक 06फरवरी, 2013 के मद्द संख्या-07 पर यह निर्णय लिया गया था कि मेंट्रो रेल परियोजना हेतु गाजियाबाद शहर में प्रस्तावित योजनान्तर्गत सृजित सम्पत्तियों के मूल्यांकन के पुर्णनिर्धारण हेतु आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय। उक्त समिति की बैठक दिनांक 22.03.2013 को सम्पन्न हुई। समिति द्वारा मेंट्रो के आगमन से परिषद की परिस्मृतियों की विक्रयशीलता पर प्रज्ञन वाले प्रभावों के संबंध में चिन्तन-मन्थन किया गया। समिति की रिपोर्ट परिषद के पेटल पर प्रस्तुत की गई।
	निर्णय	समिति की आख्या में अवगत कराया गया कि गाजियाबाद नगर में प्रस्तावित मेंट्रो रेल परियोजना (द्वितीय चरण) परिषद के निकटतम वसुन्धरा योजना से लगभग 2.5 कि०मी० पर स्थित है अतः परिषद की कोई भी योजना प्रस्तावित मेंट्रो रेल के प्रभाव क्षेत्र (0.5 कि०मी०) में नहीं है, जिसके कारण परिषद की सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार का सेंस लगाना अथवा सम्पत्तियों का पुनः मूल्यांकन किया जाना समीचीन नहीं है। उक्त कार्य हेतु इफाइट्रेकर मद से ही भुगतान किये जाने का प्रस्ताव है।

224/10	विषय	वृन्दावन योजना संख्या 2, 3 व 4 लखनऊ के सेक्टर-17 में प्रस्तावित हिमालय इलेव (सल्टी स्टोरी) के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं
--------	------	--



		वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
	विचार विमर्श	अवगत कराया गया कि वृन्दावन योजना के सेक्टर-17 में विभिन्न प्रकार के 272 फ्लैट्स का निर्माण बहुमिजिले भवनों के रूप में प्रस्तावित है, जिनका पंजीकरण खोला जा चुका है। उक्त भवनों की कुल लागत ₹ 9371.86 लाख प्रस्तावित है। उक्त फ्लैट्स 02 वर्षों में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। मा० परिषद से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अंपेक्षित है।
	निर्णय	विचारोपरान्त सर्वसम्मति से वृन्दावन योजना के सेक्टर-17 में हिमालय इक्लेव में बहुमिजिले फ्लैट्स के निर्माण हेतु ₹ 9371.86 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
224 / 11	विषय	वृन्दावन योजना संख्या-2, 3 व 4 लखनऊ के सीवेज उत्तराह के शोधन हेतु वृन्दावन योजना सं0-2 के सेक्टर-10 सी में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना के संबंध में।
	विचार विमर्श	अवगत कराया गया कि लखनऊ स्थित वृन्दावन योजना में अभी तक एस०टी०पी०(सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) का निर्माण नहीं कराया जा सका है। जबकि उक्त हेतु 16.67 एकड़ भूमि आरक्षित है। यह भी अवगत कराया गया कि 75.0 एम०एल०डी० के एस०टी०पी० का निर्माण एस०टी०आर० तकनीक पर किया जाना प्रस्तावित है, जिससे 8.57 एकड़ भूमि की बचत हो सकेगी। एस०टी०पी० के निर्माण पर ₹ 0. 5723.35 का व्यय संभावित है जिसकी प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव है।
	निर्णय	विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त परियोजना को ज्ञ०एन०एन०य०आर०एम० के अंतर्गत कराये जाने हेतु संथासंभव प्रयास किये जाएं। यह भी परीक्षण करना लिया जाए कि एस०टी०पी० की क्षमता को किस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है जिससे कि योजना के बाहर स्थित आवासीय क्षेत्रों को भी उक्त सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकें तथा नगर निगम एवं ज्ञ०एन०एन०य०आर० एम० के साथ आवास विकास परिषद के मध्य कास्ट शेयरिंग (Cost sharing) भी हो सकें।
224 / 12	विषय	अवधि विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-2ए में प्रस्तावित मदाकिनी इक्लेव (मल्टी स्टोरी) के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
	विचार विमर्श	अवगत कराया गया कि अवधि विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-2ए में विभिन्न प्रकार के 750 फ्लैट्स का निर्माण बहुमिजिले भवनों के रूप में प्रस्तावित है, जिनका पंजीकरण खोला जा चुका है। उक्त भवनों की कुल लागत ₹ 0 23408.58 लाख प्रस्तावित है। उक्त फ्लैट्स का निर्माण 02 वर्षों में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। अतः उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव है।
	निर्णय	विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अवधि विहार योजना लखनऊ के सेक्टर- 2ए में 750 फ्लैट्स के निर्माण हेतु ₹ 0 23408.58 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जाया।
224 / 13	विषय	अवधि विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-2बी में प्रस्तावित मारीजीडी इक्लेव (मल्टी स्टोरी) के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
	विचार विमर्श	सामिति को अवगत कराया गया कि अवधि विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-2बी में विभिन्न प्रकार के 780 फ्लैट्स का निर्माण बहुमिजिले भवनों के रूप में प्रस्तावित है, जिनका पंजीकरण खोला जा चुका है। उक्त भवनों की कुल लागत ₹ 0



		29201.42 लाख प्रस्तावित है। उक्त प्लैट्स 02 बहों में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। अतः उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव है।
निर्णय		विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अवधं विहार योजना लखनऊ के सेक्टर-2बी में 780 प्लैट्स के निर्माण हेतु रु0 29201.42 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

224 / 14	विषय	गाजियाबाद स्थित वसुन्धरा योजनान्तर्गत व्यवसायिक भूखण्ड सं0-16/काम-01 भूपयोग आवासीय (गुप्त हाउसिंग) में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।
	विचार विमर्श	<p>बैठक में परिषद को निस्त तथ्यों से अवगत कराया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> उक्त भूखण्ड नीलामी के माध्यम से निर्स्तारित है तथा भूखण्ड का क्षेत्रफल 6859.23 वर्गमीटर है। दिनांक 28.02.13 तक देय किस्तों व ब्याज सहित कुल रु0 191960293.00 अवशेष है तथा अवशेष धनराशि का भुगतान रु0 16871406.00 की 09 त्रैमासिक किस्तों में किया जाना है। भूखण्ड का उपयोग व्यावसायिक है, तथा 1.2 एकड़े 00आर० अनुमन्य है। प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग व्यावसायिक/समूह आवास में परिवर्तित करने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक दिनांक 6.1.2011 में मद संख्या 215/22 में प्रस्तुत किया गया था जिसके क्रम में समाचार पत्रों के माध्यम से आपत्तियों आमंत्रित की गयी, लेकिन आपत्तियों की सुनवाई दिनांक 23.2.2011 का कार्यवृत्त आवास आमुक्त द्वारा अनुमोदित न होने के कारण इसमें अग्रेतर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। आवंटी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में इस आशय से रिट याचिका द्वायर की गई उन्हें प्रश्नगत भूखण्ड पर 1.2 एकड़े 00आर० के स्थान पर 2.5 एकड़े 00आर० अनुमन्य किया जाए जो इस आदेश के साथ निस्तारित की गई कि प्रभुख संचिव आवास आवंटी के प्रत्यावेदन का निस्तारण करेंगे। प्रश्नगत भूखण्ड वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में 45 मी0 चौड़े मार्ग के जंक्शन में स्थित है तथा इसी चौराहे पर स्थित 02 अन्य भूखण्डों के भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव बोर्ड बैठक दिनांक 8.3.2013 को मद संख्या 223/15 में प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण भुगतान पंजीयन अपने पक्ष में करा लेने के बाद ही भू-उपयोग परिवर्तन हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी तथा जन सामान्य से आपत्तियों एवं सुझाव प्राप्त करके आपत्तियों के निस्तारण के बाद अन्तिम अभिसूचना के सम्बन्ध में बोर्ड के समक्ष समस्त तथ्य निर्णयार्थ प्रस्तुत करेंगे। वसुन्धरा योजना के सामने स्थित 100 मी0 चौड़े लिंक रोड के दूसरी ओर स्थित उ0प्र० लघु औद्योगिक विकास निगम द्वारा ढाबर चौराहे से मोहनमिकिन्स तक की आधिकांश-औद्योगिक उपयोग की भूमि का भू-उपयोग होटल, माल व मल्टीप्लेक्स में परिवर्तित कर दिया है जिसके फलस्वरूप व्यवसायिक भवनों की उपलब्धता आवश्यकता से कही अधिक हो गयी है तथा प्रश्नगत योजना व्यवसायिक भू-उपयोग में आर्थिक रूप से अलाभकारी हो गयी है। इस प्रकरण में योजना के दूसरी ओर यू०पी०ए०स०आ०ई०डी०सी० द्वारा औद्योगिक उपयोग की भूमि का भू-उपयोग होटल, माल एवं मल्टीप्लेक्स में परिवर्तित किये जाने के कारण व्यवसायिक भूखण्ड वित्तीय रूप से Viable नहीं

रह गये हैं। जबकि शासन की नीति है कि Financially Viable Projects में निवेशक को आकर्षित किया जाए।

वर्तमान में वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के विभिन्न सेक्टर्स में व्यवसायिक उपयोग का प्रतिशत नियोजन मानकों के अनुसार 5.0 % के स्थान पर 8.15% नियोजित है, जो मानक से 3.15% अधिक है। परिषद की 223वीं बैठक दिनांक 8 मार्च 2013 के मद संख्या-223/15 को वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-14/काम-01 व 13/एस-02 का भू-उपयोग व्यवसायिक से आवासीय (धृप हाउसिंग) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया था, प्रश्नगत भूखण्ड के भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तित होने के बाद भी व्यवसायिक भू-उपयोग 7.90% अवशेष बचता है। वर्तमान प्रस्ताव व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-16/काम-01 के भू-उपयोग को आवासीय में परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव को गत परिषद बैठक दिनांक 8 मार्च 2013 में लिये निर्णय के आधार पर सहमति होती है तो 7.76% व्यवसायिक भू-उपयोग अवशेष रहेगा जो नियांसित मानक 5% से अधिक रहेगा।

निर्णय	उंपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत विचारोपान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड सं-16/काम-1 के आवंटी द्वारा भूमि मूल्य के सम्पूर्ण भुगतान करने प्रवं पंजीयन अपने पक्ष में कर लेने के बाद ही भू-उपयोग परिवर्तन हेतु अधेतर कार्यवाही की जाए। उक्त शर्त के साथ-साथ प्रस्ताव में दी गयी अच्य शर्तों से यदि आवंटी सहमत है तो जन सामान्य से आपत्ति रुवं सुझाव प्राप्त करने की कार्यवाही की जो सकर्ता है किन्तु अंतिम अधिसूचना के सम्बंध में परिषद के समझ समस्त तथ्य प्रस्तुत करने के उपरान्त ही निर्णय लिया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव एवं निर्णय की प्रति शासन को इस आशय से प्रेषित कर दी जाए कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बंध में पूर्व में मार्ग उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कम में आवंटी के प्रत्यावेदन निस्तारण करने हेतु अनुरोध कर लिया जाय।
224/15	विषय
	आधिकारी/कर्मचारी सहकारी आवास समिति के पक्ष में अवधि विहार बौजन्चा मुल्तानपुर रोड, लखनऊ में 15.0 एकड़ व शिवम परिषद सहकारी समिति लिंग के पक्ष में गाजियाबाद स्थित सिद्धार्थ विहार योजना में 5.0 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटित किये जाने के सम्बंध में।
	विचार विमर्श
	प्रकरण में आगवत कराया गया कि परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आवासीय समस्या के समाधान हेतु दो आवास समिति गठित की गई हैं, जिनके द्वारा अवधि विहार योजना, लखनऊ में 15.0 एकड़ व शिद्धार्थ विहार गाजियाबाद में 5.0 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।
	निर्णय
	वर्तमान में आवासीय समितियों को भूमि आवंटन किये जाने की कोई नीति न होने के कारण उक्त समितियों को भूमि आवंटन किये जाने सम्बंधी प्रस्ताव को स्थगित रखने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

भूमि आर्जन अनुभाग

224/16	विषय	सिकन्दरा गृहस्थान एवं सड़क योजना आगरा के अन्तर्गत ग्राम - बौदला एवं ककरैठा मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा की ग्राम गैलाना 956, 957, 958, 960, 964, 965, 968, 969, 1012, 1022, 1023, 1033 एवं ग्राम बौदला के खसरा सख्ता 184, 185 तथा ककरैठा के खसरा
--------	------	--

		संख्या— ९६३ में से ७४००.०० वर्ग मी० भूमि वर्तमान दर पर आवंटन किये जाने के संबंध में।
	विचार विमर्श	<p>परिषद के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि सिकन्दरा योजना आगरा में २७-०३-० धीमा (६२६८०.०० वर्ग मी० भूमि) जो ०४ पाकेट में स्थित है, पर परिषद को अभी तक भौतिक क्रब्जा प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि धारा-३२ दिनांक २८.६.१९८०, धास-७/१७ दिनांक २३.०१.१९८१ को हो चुकी है। इस प्रकरण में मा० न्यायालय का स्थगन आदेश है।</p> <p>भू-स्वामियों द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-१९६५ की धारा-८८ के अन्तर्गत "आउट आफ कोर्ट सेटलमेंट" के लिए प्रत्यावेदन दिया गया है जिसके क्रम एक समिति के माध्यम से इसका परीक्षण कराया गया। समिति द्वारा भू-स्वामियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए यह संस्तुति की गयी है कि उनकी मांग के अनुसार यदि ३४ नग आवासीय भूखण्ड (लगभग ७४००.०० वर्ग मी० भूमि) भू-स्वामियों को वर्तमान आवासीय दर पर आवंटित कर दिया जाए तो भू-स्वामी अवशेष ३५१ भूखण्ड (३५५३५ वर्ग मी० भूमि) परिषद हित में छोड़ने को तैयार है। परिषद के समक्ष यह भी तथ्य रखा गया कि अवशेष भूमि पर नियोजित द्वारा सुनित किये गये भूखण्ड लाठी के माध्यम से आवंटित किये जायेंगे लेकिन ०२ पाकेट जो बड़े क्षेत्रफल के हैं उन्हें ग्रुप हाउसिंग के रूप में नियोजित करके नीलामी कर दी जायें तो परिषद को अधिक धनराशि की प्राप्ति हो सकती है।</p> <p>परिषद द्वारा यह भी जिज्ञासा की गयी कि ३४ नग आवासीय भूखण्डों की मांग करने का आधार क्या है? इस बिन्दु पर अभिलेखों के आधार पर परिशीलन किया जाना अपेक्षित है।</p>
	निर्णय	समस्त तथ्यों का अवलोकन करके सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर परिषद की जिज्ञासा समिलित करते हुए इस प्रकरण का पुनः व्यापक परीक्षण करा लिया जाए तथा आर्थिक विश्लेषण के साथ सुविचारित प्रस्ताव योजना सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
२२४/१७	विषय	सहकारी आवास समितियों व भू-स्वामियों की भूमि के समायोजन हेतु विकास शुल्क के निर्धारण के संबंध में।
	विचार विमर्श	<p>अवगत कराया गया कि परिषद की योजनाओं में आवास समितियों व भू-स्वामियों की भूमि के समायोजन हेतु विकास शुल्क के निर्धारण के सम्बंध में परिषद की १७७ वीं बैठक के मद संख्या ६८ में दिनांक २९.६.२००० में प्रस्ताव अनुमोदित है जिसके आधार पर वर्तमान तक कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रस्ताव पर पुनर्विचार आवश्यक प्रतीत होता है तथा आवासीय समितियों के समायोजन के सम्बंध में निर्गत शासनादेश दिनांक २२.१०.२००२ के प्राविधानों के दृष्टिगत भी विकास शुल्क की दरों को व्यावहारिक बनाया जाना आवश्यक है।</p> <p>यह भी अवगत कराया गया कि परिषद की योजनाओं में सामान्यतः विकसित आवासीय भूमि की दर में ६०% अंश विकास शुल्क का होता है तथा विकास शुल्क में ७५%-अंश-बाह्य-विकास-व-२५%-अंश-आंतरिक-विकास का होता है।</p> <p>यह भी अवगत कराया गया कि आवासीय समितियों की भूमि के समायोजन की दशा में विकसित अविकसित ज्ञ ग्रुप हाउसिंग हेतु भूमि दिये जाने की भी व्यवस्था है। अविकसित आवासीय भूमि दिये जाने की दशा में समिति/आवंटी द्वारा स्वयं ही सड़क/पार्कों का प्राविधान करते हुए आंतरिक विकास स्वयं किये जाने की व्यवस्था है। ऐसी दशा में भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर भी विकास शुल्क का निर्धारण किया जाना आवश्यक है जिसके आधार पर ही तदनुसार प्रस्ताव संशोधित</p>

कर परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। विकास शुल्क वर्तमान प्रभावी योजना की आवासीय दर का 60 प्रतिशत निर्धारित किया जाना चाहिए, न कि पूर्व निर्णय के अनुसार 45 प्रतिशत।

भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नानुसार प्रस्ताव है :

(i). विजी व्यक्तियों की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में :-

उक्त प्रकार के भूखण्ड योजना का अंग होते हैं तथा योजना की समस्त अवस्थापना सुविधायें इच्छे प्राप्त होती हैं ऐसी दशा में विकास शुल्क वर्तमान प्रभावी योजना की आवासीय दर को 60% दर पर निर्धारित की जानी चाहिये परन्तु बड़े भूखण्डों हेतु क्षेत्रफल के आधार पर स्थियर्ती दरें निर्धारित होनी चाहिए क्योंकि बड़े भूखण्डों में आन्तरिक विकास कार्य स्वयं करने होते हैं तथा विक्रय योग्य भूमि तबनुसार कम हो जाती है। निन्न तालिका के अनुसार विकास शुल्क लिये जाने का प्रस्ताव है :-

(i). भूखण्ड का क्षेत्रफल	देश विकास शुल्क
2000 वर्गमीटर तक	60 %
2000 से 3000 वर्गमीटर तक	57 %
3000 से 4000 वर्गमीटर तक	54 %
4000 से 6000 वर्गमीटर तक	51 %
6000 से 8000 वर्गमीटर तक	48 %
8000 वर्गमीटर से अधिक	45 %

(ii). आवासीय समितियों को विकसित भूमि (आवासीय भूखण्ड) देने की स्थिति में सम्पूर्ण आन्तरिक व वाहय विकास कार्य प्ररिषद द्वारा ही किये जाने हैं अतः विकास शुल्क की दर आवासीय दर की 60% होनी चाहिये।

(iii). अविकसित भूमि दिये जाने की दशा में

बल्केज छूट बिन्दु सं0-1 के अनुसार अनुमत्य होनी चाहिये किन्तु चौकि आन्तरिक विकास कार्य समिति द्वारा स्वयं किये जाने हैं ऐसी दशा में यह मानते हुये कि विकास शुल्क लागत में 75% धनराशि वाहय विकास हेतु व 25% आन्तरिक विकास हेतु होता है अतः योजना की आवासीय दर में विकास शुल्क (वाहय एवं आन्तरिक) हेतु सम्मिलित 60% धनराशि की 75% धनराशि अर्थात् 45% वाहय विकास शुल्क के रूप में देय होगी।

(iv). ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड

1. उक्त प्रकृति के भूखण्ड पूर्णतया विकसित भूखण्ड की श्रेणी में आते हैं किन्तु ऐसे भूखण्डों हेतु उच्चीकृत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जानी आवश्यक है। अतः विकास शुल्क की दर 60% के 1:5 गुना अर्थात् 90% देय होनी चाहिए।

2. एक भुशत धनराशि जमा न करने की स्थिति में 25% धनराशि प्रारम्भ में तथा शेष धनराशि 16% ब्याज सहित 3 समान ब्रैमासिक किस्तों में देय होगी।

3. यदि शर्त सं0-2 के अनुसार भूस्वामी/समिति धनराशि जमा नहीं करती है तो परिषद में प्रचलित दर पर नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा।

4. समिति की 25% भूमि प्ररिषद के पक्ष में धनराशि जमा करने तक मॉर्टगेज करनी होगी। नियमल किशत जमा करने पर समानुपातिक भूमि मॉर्टगेज से अवमुक्त की जा सकती है।

5. समिति को आसनादेश के अनुसार समायोजन करते हुए भूमि बापस की जाती है। अतः समिति को इस हेतु कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। यदि समिति द्वारा प्रतिकर ले लिया गया है तो 16% ब्याज सहित समायोजन के पूर्व बापस करना होगा।



	निर्णय	सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव के अंश - १ (I, II, III, IV) एवं बिन्दु सं ० २,३,४,५ का प्रस्ताव अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विकास शुल्क का भुगतान किश्तों में किये जाने की व्यवस्था ४०००.०० वर्ग मी० से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर ही लागू होगी।
224 / 18	विषय	आवास एवं विकास परिषद् के वृन्दावन योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के एवं जो आवासीय भूखण्ड के आवंटन के संबंध में।
	विचार विमर्श	श्री राजेश सिंह द्वारा वर्ष १९९० में वृन्दावन योजना रायबरेली रोड पर एक भूखण्ड उठोप्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम की धारा-२८ के बाद छल्य किया गया था। श्री राजेश सिंह का कथन है कि इन्हें उस भूखण्ड के स्थान पर दूसरा भूखण्ड आवंटित किया जाय। परिषद् अधिनियम की धारा-२८ के उपरान्त कय की गयी सम्पत्ति विधिशूल्य होती है, इसलिए श्री राजेश सिंह का प्रत्यावेदन निरस्त कर कर दिया गया था। प्रश्नगत प्रकरण में परिषद् की ओर से मा० समिति को इस तथ्य से अवगत कराया जा चुका है कि नियमानुसार भूखण्ड आवंटित किया जाना संभव नहीं है। मा० समिति द्वारा यह प्रस्ताव परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
	निर्णय	प्रकरण का परिशीलन करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री राजेश सिंह को नियमानुसार भूखण्ड आवंटित किये जाने का कोई जौनित्य नहीं है।
224 / 19	विषय	परिषद् की सिविल लाइन्स योजना संख्या-४ करेली के अन्तर्गत १.४८ एकड़ भूमि के संबंध में।
	विचार विमर्श	यह प्रकरण मंद संख्या-२२३ / १३ में परिषद् के समक्ष रखा गया था जिसमें परिषद् द्वारा मूल मू-स्वामी के प्रत्यावेदन के दृष्टिगत एवं परिषद् के आर्थिक हित एवं हानि की गणना हेतु अपर आवास आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का यठन किया गया था। उक्त समिति की आख्या एवं प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों के आधार पर परिषद् के समक्ष पुनः व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत की गयी जिसमें निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया :- 1. प्रश्नगत प्रकरण की योजना का कुल क्षेत्रफल १३.५ एकड़ था जिसकी धारा-३२ १९७४ में तथा ७/१७ दिनांक ०३.१०.७५ को अधिसूचना निर्गत हुई थी। इसका अधिनिर्णय दिनांक २६.०३.७७ को निर्गत होने के उपरान्त प्रश्नगत विवादित भूखण्ड १.४८ एकड़, जिसपर लोल कोठी स्थित है, को छोड़कर अवशेष भूमि का कब्जा परिषद् द्वारा प्राप्त किया गया था। प्रश्नगत कोठी क्षेत्रफल १.४८ एकड़ पर वर्ष १९७६ से मा० उच्च न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने एवं स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण इसका कब्जा परिषद् को नहीं मिल पाया है। ४१ वर्ष बाद भी उक्त कोठी मूल मू-स्वामी श्रीमती तलत अली एवं उनके किसायदारों के कब्जे में है, जिसमें परिषद् अपने आवंटियों को अवस्थापना से सम्बन्धित सुविधाओं को अन्तिम रूप नहीं दे पा रही है। इस कोठी के कारण कई आवंटियों के भूखण्ड का किनारा कटा हुआ है तथा कई रस्ते तलपट मानवित्र के अनुसार भौके पर नहीं निकल पा रहे हैं। इससे परिषद् के उत्तरदायित्वों का निर्वहन अन्तिम रूप से नहीं हो पा रहा है। 2. प्रश्नगत भू-माग पर युप हाऊसिंग की दर पर भू-स्वामी को भूमि आवंटित करने की दशा में उसका नक्शा युप हाऊसिंग हेतु स्वीकृत करने की विधिक बाध्यता उत्पन्न होगी जबकि उक्त योजना मात्र १३.५० एकड़ में निर्णयित की गयी है, जिसमें कवल ९ मी० चौड़ी सड़कों से ही पहुंच मार्ग उपलब्ध है अतः उस पर युप हाऊसिंग का निर्माण सम्भव नहीं है। युप हाऊसिंग के मानक के अनुसार

	<p>सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं।</p> <p>3. प्रश्नगत योजना (13.5 एकड़) में श्रीमती तलत अली के अतिरिक्त ३ और भू-स्वामी हैं जिनकी प्रतिकर का सुरक्षान किया जा चुका है और प्रतिकर की धनराशि बढ़ाने के लिए मा० न्यायालय में वाद लग्जित चल रहा है। प्रश्नगत विवादित कोठी (आराजी संख्या-122) के सम्बन्ध में केवल एक भू-स्वामी श्रीमती तलत अली द्वारा मा० न्यायालयों में वाद योजित करके स्थगन आदेश प्राप्त किये गये हैं। इस सम्बन्ध में 2 किरायदारों द्वारा मा० उच्च न्यायालय में वाद योजित किया गया था। लेकिन उनकी याचिका परिषद के पक्ष में खारिज हो चुकी है। श्रीमती तलत अली द्वारा सिविल न्यायालय में वाद योजित किया है जिसमें आदेश पारित किया गया है कि “आराजी संख्या-122 आवास विकास सिविल लाइन्स जिसकी छौहदवी वाद पत्र के अन्त में अंकित है। उसमें कोई परिवर्तन/परिवर्धन नियंत तिथि तक न करें।”</p> <p>4. परिषद के समक्ष प्रस्तुत टिप्पणी में प्रस्तुत संख्या 4 : 3 में परिषद को होने वाले वित्तीय लाभ/हानि का आकलन किया गया है जिसके आधार पर यदि प्रश्नगत भू-भाग वर्तमान आवासीय दर पर मूल भू-स्वामी को आवंटित की जाती है तो उक्त विक्रय से ₹० १०.०६ करोड़ को प्राप्ति होगी। परिषद द्वारा स्वयं विकसित कर विक्रय करने की स्थिति में विकास पर होने वाले व्यय में समायोजन के उपरान्त ₹० ७.२४ करोड़ की सुदूर प्राप्ति होगी। इस प्रकार वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार आवासीय दर पर भू-स्वामी को आवंटित करने से परिषद को ₹० २.५१ करोड़ की धनराशि की अतिरिक्त प्राप्ति होगी। प्रश्नगत प्रकरण में धारा-४४ के अन्तर्गत, “आउट ऑफ कोर्ट सेटिलमेंट” के माध्यम से प्रकरण के निर्धारण का प्रस्ताव परिषद हित में बताया गया है।</p> <p>5. प्रश्नगत प्रकरण में भू-स्वामी के पक्ष में वर्तमान आवासीय दर पर आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने की स्थिति में परिषद को कोई वित्तीय क्षति नहीं हो सकती है। इस प्रस्ताव में न तो भूमि छोड़ने का प्रस्ताव है और न ही समायोजन का, अपितु वर्तमान दर पर आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है।</p>
निर्णय	<p>उपर्युक्त तथ्यों पर सर्वसम्मति से विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> श्रीमती सलीम जहाँ ब्रेगम की वारिस श्रीमती तलत अली द्वारा वारिसान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। योजना में परिषद की अवस्थापना सुविधायें बिना प्रभावित हुए अवशेष भूमि दिये जाने पर अन्तर्गत प्राप्ति की जाये। वर्तमान भू-भाग (1.48 एकड़ भूमि) पर भविष्य में कोई भी प्रतिकर की बड़ी हुई धनराशि देय नहीं होगी। यदि अन्य सह खातेदार अथवा किरायदारों द्वारा सविष्य में उक्त भूखण्ड से सम्बन्धित कोई वादा अथवा दाव प्रस्तुत किया जाता है तो उससे सम्बन्धित विधिक व्यय तथा न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रतिकर/आर्थिक क्षतिपूर्ति आदि हेतु श्रीमती तलत अली (जिन्हें वर्तमान दर पर प्रश्नगत भू-भाग आवंटित किया जा रहा है) ही उत्तरदायी होगी। ऐसी स्थिति में आवास विकास परिषद को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा इस हेतु भू-स्वामी द्वारा आवास विकास परिषद के पक्ष में निर्धारित “क्षति पूर्ति बंद्धकनामा” (Indemnity Bond) देना होगा। भू-स्वामी द्वारा समस्त शर्तों को पूरा करने की दशा में एक समर्जीता पत्र जिस पर आवास विकास परिषद एवं भू-स्वामी के हस्ताक्षर होंगे, को मूलनीय न्यायालय में प्रस्तुत करके विवाद समाप्त करना होगा। <p>यदि उपर्युक्त बिन्दुओं पर श्रीमती तलत अली वर्तमान दर पर अवस्थापना सुविधाओं की समायोजित करते हुए अवशेष भू-भाग को आवंटन करने के लिए</p>

		<p>अपनी सहमति प्रदान करती है तो उन्हें बंतमान दर पर प्रश्नगत भू-भाग आवंटन करने के लिए सैद्धान्तिक रूप से परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गयी। उपर्युक्त समस्त शर्तों का अनुपालन श्रीमती तलंत अली द्वारा कर लिया जाता है तो आवास आयुक्त को उक्त निर्णय के अनुपालन हेतु अधिकृत किया गया। यदि किसी बिचु अथवा शर्तों पर श्रीमती तलंत अली द्वारा सहमति नहीं दी जाती है तो प्रकरण पुनः परिषद के समक्ष रखा जायेगा।</p>
224 / 20	विषय	<p>मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय। परिषद में बहुमंजिली भवनों के सम्बन्ध निर्माण हेतु अत्याधुनिक तकनीक के प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।</p>
	विचार विमर्श	<p>मा० अध्यक्ष द्वारा सुझाव दिया गया कि निर्माण की नवीन तकनीक यथा प्री-फैब्रिकेटेड (देश के अन्य राज्यों में इसका उपयोग किया जा रहा है) आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करके इसका प्रयोग निर्माण में किया जाय जिससे इस तकनीक के आधार पर भवनों का शीघ्र निर्माण क्रस्तकर उनकी डिलीवरी कम समय में हो सके।</p> <p>अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में परिषद द्वारा विभिन्न योजनाओं में ₹०३८५०.८०, एल०आर००१०० व अन्य श्रेणी के लगभग 10000 भवनों का निर्माण ग्रुप हाउसिंग के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है। इन भवनों हेतु परिकल्पनाएँ का कार्य प्रगति पर है तथा माह मई 2013 में पंजीकरण खोला जा सकता है।</p> <p>यह श्री अवगत कराया गया कि परिषद निर्माण की नई टेक्नोलॉजी यथा प्री-फैब्रिकेटेड आदि की जानकारी प्राप्त कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी के आधार पर निर्माण की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा निर्माण अवधि में कमी आयेगी।</p>
	निर्णय	<p>सम्यक् विचारोपान्त सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिया गया है:</p> <ul style="list-style-type: none"> भवन-निर्माण के सम्बन्ध में नवीनतम तकनीक के प्रयोग की दिशा में परिषद अध्ययन, परीक्षण एवं प्रयोग करें। इस तकनीक के विषय-विशेषज्ञों अर्थात् आर्किटेक्ट एवं कम्पनियों से “इम्प्रेशन ऑफ इन्डरेस्ट” के साधारण से प्रस्ताव आसन्नित किये जाय। यदि प्री-फैब्रिकेटेड तकनीक गुणवत्ता, समय दी बचत एवं लागत की दृष्टि से उपर्युक्त पायी जाती है तो प्रथम चरण में परिषद की लिखान इसी अवधि विहार एवं वृन्दावन की आवासीय परियोजनाओं में प्री-फैब्रिकेटेड तकनीक का प्रयोग किया जाय।

(रुद्र प्रताप सिंह)
आवास आयुक्त

अनुमोदित

(प्रवीर कुमार)
अध्यक्ष